414

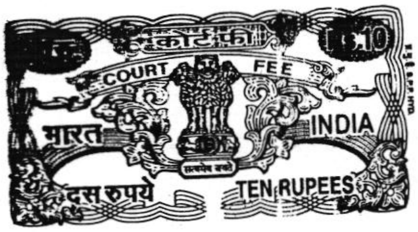

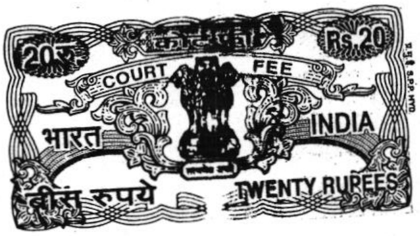

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–मुरैना

क्रमांक- 4755/2018/मुरैना/भू.रा.

1 राम खिलाडी पुत्र श्री गंगाधर शर्मा

2 रामलखन पुत्र श्री गंगाधर शर्मा

3 रामगोपाल पुत्र श्री गंगाधर शर्मा

निवासी– पचौरी का पुरा पोरसा जिला मुरैना (म.प्र.)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1 रामशंकर पुत्र श्री करन सिंह पचौरी निवासी – वार्ड नं. 12 पचौरी का पुरा पोरसा जिला – मुरैना म.प्र.

2 श्रीमान मुख्यनगर नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पोरसा जिला – मुरैना म.प्र.

3 अध्यक्ष महोदय नगर पालिका महोदय पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

–– अनावेदकगण

06.8.18

10.8.18

क्लर्क

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

06/08/18

न्यायालय कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.07.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, कस्बा पोरसा में स्थित भवन क्रमांक 286 जोकि आवेदकगण के पिता द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया गया था। जिसके संबंध में आवेदकगण के पिता का विधिषत् नामान्तरण हुआ और कुछ समय पश्चात् आवेदकगण के पिता की मुत्यु हो गयी, अतः मुत्यु के उपरान्त पिता के स्थान पर उनके पुत्र रामलखन, रामखिलाडी, रामगोपाल आवेदकगण का विधिवत् नामान्तरण हुआ।

XXIX(a)-BR(H)-11

(414)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4755/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	